न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी (राजस्व) नोहर

पीठासीन अधिकारी का नाम : पंकज गढ़वाल (आर0ए0एस0)

वाद सं0 : 367 सन 2017

अनवान :–

1. गोमन्दराम पुत्र गिगराज जाति कुम्हार निवासी ढाणी रायकान तहसील नोहर।

वादी

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर।

प्रतिवादी

2. गुमानी पत्नी गिगराज जाति कुम्हार निवासी ढाणी रायकान तहसील नोहर।
3. तीजा पुत्री गिगराज जाति कुम्हार निवासी ढाणी रायकान तहसील नोहर।
4. गोरा पुत्री गिगराज जाति कुम्हार निवासी ढाणी रायकान तहसील नोहर।
5. कान्ता पुत्री गिगराज जाति कुम्हार निवासी ढाणी रायकान तहसील नोहर।
6. विनोद पुत्री गिगराज जाति कुम्हार निवासी ढाणी रायकान तहसील नोहर।
7. केशुराम पुत्र गिगराज जाति कुम्हार निवासी ढाणी रायकान तहसील नोहर।
8. कृष्ण कुमार पुत्र ओमप्रकाश जाति कुम्हार निवासी ढाणी रायकान तहसील नोहर।
9. रामसिह पुत्र ओमप्रकाश जाति कुम्हार निवासी ढाणी रायकान तहसील नोहर।
10. हिरा पुत्र ओमप्रकाश जाति कुम्हार निवासी ढाणी रायकान तहसील नोहर।

तरतीबी प्रतिवादीगण

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88 ।

उपस्थित : श्री मदन मोहन जोशी अधिवक्ता वादी
पेरोकार राज
निर्णय दिनांक :– 08/05/2025

वादी ने जरिये अधिवक्ता यह वाद अन्तर्गत धारा 88 आरटीएक्ट इस आश्य का पेश किया की रोही मौजा सिरगसर के खसरा न0 193 की 60.00 बीधा भूमि स्थित है जो कि गीगराज पुत्र चिमनाराम को दिनांक 19.07.1968 को आवंटित की गई थी आवंटन के 10 वर्षो के बाद आवटन आदेश की शर्तो के अनुसार खातेदार काश्तकार हो गया था।

रोही मौजा सिरगसर के खसरा न0 193 मीन के वर्तमान खसरा न0 1312 में पैमुद/परिर्वतन किया गया परन्तु भू0प्रबन्ध विभाग ने मिलान क्षेत्रफल तैयार करते समय सहवन से खसरा न0 193 मीन की 60 बीधा को खसरा न0 193 की 52.00 बीधा व खसरा न0 194 की 8.00 बीधा में परिर्वतन कर दिया जबकि उक्त 60 बीधा खसरा न0 193 मीन की ही थी तथा गिरदावरी में खसरा न0 193 की 60.00 बीधा हमेशा से ही दर्ज चली आ रही है मिलान क्षेत्रफल में सहवन से खसरा न0 194 दर्ज हो गया इसलिये साबिका खसरा न0 194 के स्थान पर खसरा न0 193 पढा/संशोधन करवाने के अधिकारी है।

गीगराज पुत्र चिमनाराम फोत हो चुका है जिसके वारिसान के वाद भूमि वर्तमान मे कब्जा काश्त में चली आ रही है तथा वर्तमान में विरास्तन से वारिसान के नाम दर्ज हो चुकी है वाद भूमि के वादी व प्रतिवादी संख्या 2 ता 7 बहिब 7/8 हिस्सा व प्रतिवादी संख्या 8 ता 10 बहिब 1/8 हिस्सा के खातेदार काश्तकार है जबकि रोही मौजा चक मन्दराना के खसरा न0 1312/1 की 11.2830हैक्ट तो सही तौर से बतौर खातेदार काश्तकार दर्ज कर दिया किन्तु खसरा न0 1312/2 की 2.0230हैक्ट भूमि जो वादी के पिता को आवंटित भूमि है को गैरखातेदार दर्ज कर रखा है जिससे वादी के खातेदारी अधिकारों को हनन होता है वादी खसरा न0 1312/2 की 2.0230हैक्ट भूमि [illegible] र खातेदार काश्तकार दर्ज करवाने का अधिकारी है।

वाद भूमि पूर्व में रोही [illegible] आवंटित हुई थी जो [illegible] करण के दौरान ढाणी रायकान एव वर्तमान में चक मन्दराना के खसरा न0 1312/2 [illegible] 0230हैक्ट दर्ज है जो वादी एव प्रतिवादी संख्या 2 ता 10 के कब्जा काश्त में चली आ रही है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2025.05.13 19:25:11 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
नोहर (हनु0)

वाद भूमि वादी के पिता को सन 1968 में आवटन की गई थी आवंटन की शर्तो के अनुसार आवंटन आदेश के 10 वर्षो के बाद वादी खातेदार काश्तकार हो गया था किन्तु वादी को आज भी राजस्व रिकार्ड मे बतौर गैरखातेदार दर्ज रखा है जिसे बतौर खातेदार काश्तकार दर्ज करवा पाने के अधिकारी है राजस्व रिकार्ड में वादी के हक हिस्सा की भूमि गैरखातेदार दर्ज रहने से वादी के हकों का हनन होता है इसलिये वादी अपने हकों की घोषणा करवाकर वाद भूमि बतौर खातेदार काश्तकार दर्ज करवा पाने का अधिकारी है।

वादी ने प्रतिवादी संख्या 1 को कई मर्तबा कहा की वाद भूमि आवंटन आदेश के अनुसार बतौर खातेदार काश्तकार दर्ज कर देवे तो इन्कार हो गये इसलिये यह वाद पेश किया गया है

अतः वादी का वाद डिक्री किया जाकर रोही मौजा चक मन्दराना के खाता संख्या 44/42 की 2.0230हैक भूमि में वादी व प्रतिवादी संख्या 2 ता 7 को बहिब 7/8 हिस्सा व प्रतिवादी संख्या 8 ता 10 को बहिब 1/8 हिस्सा का खातेदार घोषित किया जाकर राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवाया जाकर जमाबन्दी संशोधन करने के आदेश फरमावे।

वादी का वाद प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी संख्या 2 ता 10 का अनुताष वादी में निहित होने के कारण प्रतिवादी संख्या 2 ता 10 को तलब नही किया गया प्रतिवादी संख्या 1 को जरिये सम्मन तलब किया गया प्रतिवादी संख्या 1 की और से पेरोकार राज न्यायालय में उपस्थित आकर वादी के वाद के सम्बध में जबाब पेश किया की वाद भूमि सही तौर से राजस्व रिकार्ड में दर्ज है वर्तमान मे वाद भूमि उपनिवेशन क्षेत्र के अन्तर्गत आती है वादी उपनिवेशन नियमों के अन्तर्गत किमतन खातेदारी अधिकार प्राप्त करने का अधिकारी है एवं राज्य सरकार के हकों को सुरक्षित रखते हुए वाद का निस्तारण फरमावे। पेरोकार राज का जबाब शामिल मिसल किया जाकर वादी ने साक्ष्य में शपथ पत्र पेश किया जिस पर जिरह नही की गई एव प्रतिवादी अन्य कोई साक्ष्य पेश नही करने के कारण उभयपक्षों की बहस सुनी गई।

वादी के अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपने वाद में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया की रोही मोजा चक मन्दराना के साबिका खसरा न0 193 की 60.00 बीधा भूमि वादी के पिता गिगराज पुत्र चिमनाराम को दिनांक 19.07.1968 को आवंटन की गई थी आवंटन के समय से उक्त भूमि पूर्व में वादी के पिता गिगराज एवं वादी के पिता गिगराज के देहान्त होने पर वादी व प्रतिवादी संख्या 2 ता 10 के कब्जा काश्त में चली आ रही है।

रोही मोजा चक मन्दराना के साबिका खसरा न0 193 की 60.00 बीधा भूमि भू–प्रबन्धक विभाग द्वारा पैमाईश में वर्तमान /हाल खसरा न0 1312 की 60.00 बीधा में परिर्वतन एवं पैमुद की गई है।

गिगराज पुत्र चिमनाराम जाति कुम्हार निवासी ढाणी रायकान का देहान्त हो चुका है जिसके जायज वारिसान वादी एव प्रतिवाीद संख्या 2 ता 10 है जिसके वादी के पिता गिगराज पुत्र चिमनाराम को आवंटित भूमि कब्जा काश्त में चली आ रही है एवं राजस्व रिकार्ड में गिगराज पुत्र चिमनाराम के वारिस की हैसियत से वादी व प्रतिवादीगण संख्या 2 ता 10 के नाम विरास्तन से दर्ज भी हो चुकी है।

वादी के पिता गिगराज को दिनांक 19.07.1968 को आवंटित भूमि में से वाद भूमि के अलावा शेष भूमि पूर्व में वादी के पिता के देहान्त होने के बाद वादी व प्रतिवादी संख्या 2 ता 10 को बतौर खातेदार काश्तकार दर्ज कर रखा है केबल वाद भूमि गैरखातेदार दर्ज की गई है जिसे बतौर खातेदार दर्ज करवाने का अधिकारी है।

वादी के पिता गिगराज पुत्र चिमनाराम जाति कुम्हार को रोही मौजा सिरगसर में भूमि आवंटन की गई थी जो सीमाकंन उपरान्त [illegible] मन्दराना के साबिका खसरा 193 हाल खसरा न0 1312/1 में आवंटित भूमि के खातेदारी अधिकार प्राप्त हो चुके है एव जो उनके वारिसान वादी एव प्रतिवादी संख्या 2 ता 10 के नाम से बतौर खातेदार राजस्व रिकार्ड में दर्ज है। परन्तु रोही मोजा मन्दराना के खसरा न0 1312/2 की 2.0230हैक भूमि राजस्व रिकार्ड में गैरखातेदार दर्ज है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2025.05.13 19:25:11 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
नोहर (हनु0)

रोही मोजा मन्दराना के साबिका खसरा न0 193 की भूमि दिनांक 19.07.1968 को आवंटन की गई थी जो पूर्व में वादी के पिता गिगराज के कब्जा काश्त में रही है वाद फोतदगी गिगराज उसके वारिसान वादी जो राजस्व रिकार्ड में दर्ज के कब्जा काश्त में चली आ रही है

वादी के पिता गिगराज पुत्र चिमनाराम को वाद भूमि आवंटन होने के तीन वर्षो वाद ही वादी के पिता गिगराज पुत्र चिमनाराम नियामानुसार खातेदार हो गये थे किन्तु राजस्व रिकार्ड में आज भी गिगराज पुत्र चिमनाराम के देहान्त होने पर उनकी वारिसान वादी व प्रतिवादी संख्या 2 ता 10 को गैरखातेदार दर्ज कर रखा है जिससे वादी के खातेदारी अधिकारों को हनन होता है वादी उनके पूर्वजो को आवंटन की गई भूमि को बतौर खातेदार काश्तकार राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है अतः वादी का वाद डिक्री फरमाया जाकर रोही मौजा चक मन्दराना के खाता संख्या 44/42 के खसरा न0 1312/2 की 2.0230हैक्‍ भूमि का वादी व प्रतिवादी संख्या 2 ता 10 अपने हक हिस्सा के अनुसार खातेदार काश्तकार दर्ज करवाने के आदेश फरमावे।

पेरोकार राज ने अपनी बहस में अपने जबाब में अंकित तथ्यों को दोहरातें हुए निवेदन किया की वाद भूमि सही तौर से राजस्व रिकार्ड में दर्ज है वाद भूमि वर्तमान में उपनिवेशन क्षेत्र के अन्तर्गत आती है बारानी क्षैत्रो में आवंटन नियम 1957/1970 के तहत आवंटित रकबा के उपनिवेशन नियमों के तहत किमतन खातेदारी अधिकार प्राप्त करने का अधिकारी है एवं राज्य हकों को सुरक्षित रखते हुए वाद का निस्तारण फरमावे।

हमने उभयपक्षों की बहस सुनी पत्रावली का अवलोकन किया प्रस्तुत रिकार्ड के अनुसार रोही मोजा सिरगसर के साबिका खसरा न0 193 की कुल 60.00 बीधा भूमि गिगराज पुत्र चिमनाराम जाति कुम्हार साकिन ढाणी राईकान को दिनांक 19.07.1968 को आवंटन की गई थी जो प्रस्तुत आवंटन आदेश से पूर्णत्या साबित है।

आवंटि गिगराज पुत्र चिमनाराम का देहान्त हो चुका है जिसका जायज वारिसान वादी एवं प्रतिवादी संख्या 2 ता 10 है जिसके वाद भूमि कब्जा काश्त में है एवं वर्तमान राजस्व रिकार्ड में गिगराज पुत्र चिमनाराम के वारिसान की हैसियत से विरास्तन से राजस्व रिकार्ड में बतौर गैरखातेदार दर्ज है उक्त तथ्यो कें सम्बध में पेरोकार राज ने किसी प्रकार को कोई ऐतराज पेश नही किया गया है।

अर्थात वाद भूमि गिगराज पुत्र चिमनाराम को दिनांक 19.07.1968 को आवटित की गई थी जो प्रस्तुत आवंटन आदेश से साबित है आवंटन के समय से आंवटित भूमि पूर्व में वादी के पिता गिगराज पुत्र चिमनाराम के कब्जा काश्त में थी एवं वादी के पिता आवटी गिगराज पुत्र चिमनाराम के देहान्त होने पर वादी एव प्रतिवादी संख्या 2 ता 10 के कब्जा काश्त में चली आ रही है जो प्रस्तुत गिरदावारीयों /पटवारी हल्का की रिपोर्ट से साबित है वाद भूमि पर कब्जा काश्त के सम्बध में पेरोकार राज को किसी प्रकार का ऐतराज नही है।

भू0प्रबन्ध विभाग ने पैमाईश हाल में रोही मौजा सिरगसर के साबिका खसरा न0 193 की 60.00 बीधा भूमि को हाल खसरा न0 1312 की 60.00 बीधा में परिवर्तन कर पैमुद कर दी गई है जो प्रस्तुत मिलान क्षेत्रफल से पूर्णत्या साबित है तथा रोही मोजा सिरगसर की भूमियों का अन्य भूमियों के साथ पुनः सीमाकन होने एव नये चकों का निर्माण होने पर रोही मौजा चक मन्दराना में शामिल किया गया था जो वर्तमान राजस्व रिकार्ड चक मन्दराना के खसरा न0 1312 की 60.00 बीधा के रूप में दर्ज है।

वादी के पिता गिगराज को रोही मौजा चक मन्दराना के साबिका खसरा न0 193 में भूमि आवंटन की गई थी जो [illegible] में परिर्वतन हो चुकी है अर्थात हाल खसरा न0 1312/1 व 1312/2 की [illegible] पिता गिगराज को दिनांक 19.07.1968 किो आवंटित की गई जो [illegible] के पिता गिगराज के देहान्त होने के बाद विरास्तन से गैरखातेदारी वादी के नाम दर्ज है।

वादी के पिता गिगराज को रोही मौजा सिरगसर के साबिका खसरा 193 हाल रोही मौजा चक मन्दराना खसरा न0 1312/1 में आवंटित भूमि के खातेदारी अधिकार प्राप्त हो चुके है एव जो उनके वारिसान वादी के नाम से बतौर खातेदार राजस्व रिकार्ड में दर्ज है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2025.05.13 19:25:11 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
नोहर (हन0)

परन्तु रोही मोजा चक मन्दराना के खसरा न0 1312/2 की 2.0230हैक्ट भूमि राजस्व रिकार्ड में गैरखातेदार दर्ज है जो वादी के पिता गिगराज को आवंटन की गई भूमि का ही हिस्सा है

वादी का कथन है कि वाद भूमि उसके पूर्वज गिगराज पुत्र चिमनाराम को आवंटन दिनांक 19.07.1968 को आवंटन की गई थी आवंटन आदेश की शर्तो के अनुसार वादी का पिता आवंटन दिनांक 19.07.1968 के दस वर्ष बाद खातेदार काश्तकार हो गया था जिसे राजस्व रिकार्ड में खातेदार काश्तकार दर्ज किया जाना था अर्थात आवटन आदेश में अंकित समस्त भूमि को बतौर खातेदार काश्तकार दर्ज किया जाना चाहिये वाद भूमि जो आवंटन की गई भूमि का ही हिस्सा को गैरखातेदार दर्ज कर दिया शेष भूमि को खातेदार काश्तकार दर्ज कर दिया जो विधि विरूद्व है शेष रही वाद भूमि को भी बतौर खातेदार काश्तकार दर्ज करवा पाने का अधिकारी है।

पेरोकार राज का कथन है कि वादी के पिता को बारानी क्षेत्र में भूमि आवंटन की गई थी वर्तमान में वादी के पिता गिगराज पुत्र चिमनाराम को आवंटन की गई भूमि उपनिवेशन क्षेत्र में आती है अब वादी उपनिवेशन नियमों के तहत किमतन खातेदारी अधिकार प्राप्त किये जा सकते है।

राज्य सरकार के द्वारा समय समय पर 1957/1970 के तहत आवंटित भूमिया जो वर्तमान में उपनिवेशन क्षेत्र में आ गई है के खातेदारी अधिकार दिये जाने के सम्बध में परिपत्र /अधिसूचना जारी की गई है वादी उन्ही के तहत खातेदारी अधिकार प्राप्त कर सकता है एवं वादी इसके लिये सहमत भी है।

राजस्थान भू–राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भू–आवंटन) नियम 1957/1970 के तहत आवंटन की गई थी जो बाद में उपनिवेशन क्षेत्र में आ गयी इसप्रकार की भूमियों के खातेदार अधिकार प्रदान करने के लिए राजस्व (उपनिवेशन) विभाग जयपुर की अधिसूचना क्रमांक एफ–4 (2) उप/2005 जयपुर दिनांक 07.03.2008 द्वारा राजस्थान उपनिवेशन (इन्दिरा गाधी नहर परियोजना क्षेत्र में सरकारी भूमि का आवंटन एवं विक्रय) नियम 1955 के नियम 17 में संशोधिन किया गया है कि जो भूमि 1957/1970 के नियमो के तहत आवंटित थी और वर्तमान में उपनिवेशन क्षेत्र में आ गई है उसके खातेदार अधिकारो के लिए अनु0 जाति अनु0 जन जाति, अन्य पिछडा वर्ग व बीपीएल परिवारो से परियोजना क्षेत्र की निर्धारित आरक्षित दर का 10 प्रतिशत व अन्य जातियों के लिए 20 प्रतिशत राशि एक मुश्त वसूल कर खातेदारी अधिकार दिये जा सकते है। इस परियोजना क्षेत्र में भाखरा नहर परियोजना क्षेत्र के नियम व आरक्षित दरे लागू है। अधिसूचना दिनांक 07.03.2008 निम्नानुसार है :–

"Provided also that subject to the general or specific directions of the state Government, the temporary cultivation lease holders to whom land has been allotted under the Rajasthan Land Revenue (Allotment of Land for Agricultural Purposes) Rules, 1970, Whether they have acquired khatedari rights or not under the said rules and after declaration of such area as colony, such temporary cultivation lease holders shall be eligible for permanent allotment to the extent of ceiling limit under these Rules on the payment of 20 % of the reserve price of general allotment in one installment but in case of persons belonging to Scheduled Castes/Scheduled Tribes/Other Backward Classes or BPL Families, they shall pay 10% of the reserve price of general allotment in one installment."

इसी संबंध में राजस्व (उपनिवेशन) विभाग जयपुर के पत्रांक प–4 (2) उप/2005 जयपुर दिनांक 02.01.2008 द्वारा स्पष्ट किया गया है कि राजस्थान भू–राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भू–आवंटन) नियम 1957/1970 में भूमि का अस्थायी आवंटन नहीं किया जाता है, बल्कि आवंटन से पहले गैर खातेदार के रूप में दर्ज किया जाता है एवं बाद में खातेदारी अधिकार प्रदान किये जाते है। ऐसी स्थिति में अस्थायी कृषि पट्टा धारक में नियम 1957/1970 के गैर खातेदारी को भी सम्मिलित माना जाकर कार्यवाही की जावे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2025.05.13 19:25:11 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
नोहर (हनु0)

इस प्रकार राजस्थान भू–राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भू–आवंटन) नियम 1970 के तहत गैर खातेदार दर्ज आसामियों को अस्थायी काश्तकार माना जाकर उक्त अधिसूचना दिनांक 07.03.08 के अनुसार एक मुश्त राशि वसूल कर खातेदारी अधिकार प्रदान किये जा सकते है।

वादी के पिता गिगराज पुत्र चिमनाराम जाति कुम्हार निवासी ढाणी रायकान (जो अन्य पिछडा वर्ग जाति का सदस्य है) को रोही मौजा चक मन्दराना के साबिका खसरा न0 193 हाल खसरा न0 1312/2 की 2.0230हैक्‍ भूमि आवंटन दिनांक 19.07.1968 का ही हिस्सा है जो आवंटि गिगराज पुत्र चिमनाराम के देहान्त होने पर उसके वारिस वादी व प्रतिवादी संख्या 2 ता 10 के नाम बतौर गेरखातेदार दर्ज है अर्थात वाद भूमि वादी के पिता गिगराज पुत्र चिमनाराम को आवंटन नियम 1957 के तहत भूमि आवटन की गई है जो वर्तमान में उपनिवेशन क्षेत्र में आती है ।

आवंटन नियम 1957/1970 के तहत आवंटन भूमियो जो वर्तमान में उपनिवेशन क्षेत्र में आती है के खातेदारी अधिकारी दिये जाने हेतु राज्य सरकार के द्वारा समय समय पर उक्तानुसार परिपत्र/अधिसुचनाए जारी की गई है उन्ही के तहत खातेदारी अधिकार प्राप्त करने का अधिकारी है।

उपरोक्त विवेचन अनुसार रोही मौजा सिरगसर के साबिका खसरा न0 193 की कुल 60.00 बीधा भूमि वादी के पिता गिगराज पुत्र चिमनाराम जाति कुम्हार निवासी ढाणी राईकान को दिनांक 19.06.1968 को आवंटन की गई थी वादी के पिता को आवटन की गई भूमि चक सहमाकन उपरान्त रोही मौजा चक मन्दराना में शामिल की गई है जो हाल खसरा न0 1312/1 व 1312/2 में पैमुद की गई थी तथा खसरा न0 1312/1 की भूमि को बतौर खातेदार काश्तकार दर्ज किया जा चुका है वादी के पिता को आवंटन की गई भूमि का शेष भाग भी हाल खसरा न0 1312/2 की 2.0230हैक्‍ भूमि में पैमुद की गई है जो आवंटन आदेश , मिलान क्षेत्रफल एव तहसीलदार नोहर की मौका रिपोर्ट से पूर्णत्या साबित है तथा मौका रिपोर्ट अनुसार वादी भूमि जो वादी के पिता को आवंटन की गई थी पूर्व में वादी के पिता गिगराज पुत्र चिमनाराम के कब्जा काश्त में चली आ रही थी वादी के पिता गिगराज पुत्र चिमनाराम के देहान्त होने पर उनके वारिसान वादी एव प्रतिवादीगण संख्या 2 ता 10 के कब्जा काश्त में चली आ रही है कब्जा काश्त की पूष्टि तहसीलदार की मौका रिपोर्ट एव प्रस्तुत दस्तावेजात से पूर्णरूप से साबित है वाद भूमि वादी के पिता को दिनांक 19.06.1968 को आवंटन की गई भूमि का ही भाग है वादी के पिता को आवंटन की गई भूमि वर्तमान में उपनिवेशन क्षेत्र के अन्तर्गत आती है वादी के पिता को आवंटन की गई भूमि के खातेदारी अधिकार राज्य सरकार के द्वारा समय समय पर जारी अधिसुचनाओं/परिपत्र के परिपेक्ष्य में ही प्राप्त करने का अधिकारी है अर्थात वादी उपनिवेशन नियमों के तहत बतौर खातेदार काश्तकार दर्ज करवाने का अधिकारी है

अतः वादी का वाद डिक्री किया जाकर धोषणा की जाती है कि रोही मौजा चक मन्दराना के खाता संख्या 44/42 के खसरा न0 1312/2 की 2.0230हैक्‍ भूमि जो वर्तमान में इन्दिरा गाधी नहर परियोजना क्षैत्र में आती है की आरक्षित दर 2000/– प्रतिबीधा का 20 प्रतिशत 400/–प्रतिबीधा की दर से राशि एक मुश्त जमा होने के बाद वादी व प्रतिवादी संख्या 2 ता 7 को बहिब 7/8 हिस्सा व प्रतिवादी संख्या 8 ता 10 को बहिब 1/8 हिस्सा का खातेदार काश्तकार धेाषित किया जाता है इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जाकर जमाबन्दी सशोधन की जावे। व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे पर्चा डिक्री जारी कि जाकर शामिल मिसल की गई पत्रावली न[illegible] तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हो ।

निर्णय आज दिनांक [illegible] लिखाया जाकर बसरेईजलास में सुनाया गया

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2025.05.13 19:25:11 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्डाधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ)

पर्चा डिक्री

(आर्डर 20, रूल 6–7 जाब्ता दिवानी)

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी नोहर

अज अदालत :– पंकज गढत्रवाल (आर.ए.एस)

अनवान :–

1. गोमन्दराम पुत्र गिगराज जाति कुम्हार निवासी ढाणी रायकान तहसील नोहर।

वादी

बनाम

1 राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर।

प्रतिवादी

2. गुमानी पत्नी गिगराज जाति कुम्हार निवासी ढाणी रायकान तहसील नोहर।
3. तीजा पुत्री गिगराज जाति कुम्हार निवासी ढाणी रायकान तहसील नोहर।
4. गोरा पुत्री गिगराज जाति कुम्हार निवासी ढाणी रायकान तहसील नोहर।
5. कान्ता पुत्री गिगराज जाति कुम्हार निवासी ढाणी रायकान तहसील नोहर।
6. विनोद पुत्री गिगराज जाति कुम्हार निवासी ढाणी रायकान तहसील नोहर।
7. केशुराम पुत्र गिगराज जाति कुम्हार निवासी ढाणी रायकान तहसील नोहर।
8. कृष्ण कुमार पुत्र ओमप्रकाश जाति कुम्हार निवासी ढाणी रायकान तहसील नोहर।
9. रामसिह पुत्र ओमप्रकाश जाति कुम्हार निवासी ढाणी रायकान तहसील नोहर।
10. हिरा पुत्र ओमप्रकाश जाति कुम्हार निवासी ढाणी रायकान तहसील नोहर।

तरतीबी प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

राजस्व वाद संख्या 367 सन 2017 निर्णय दिनांक – 08/05/2025

आज यह वाद मुझ पकंज गढ़वाल उपखण्ड अधिकारी नोहर के समक्ष अधिवक्ता वादी एवं पेरोकार राज की उपस्थिति में अंतिम निपटारे/ निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी साक्ष्य सबुतो के आधार पर साबित होने के कारण डिक्री किया जाकर धोषणा की जाती है कि रोही मौजा चक मन्दराना के खाता संख्या 44/42 के खसरा न0 1312/2 की 2. 0230हैक भूमि जो वर्तमान में इन्दिरा गाधी नहर परियोजना क्षैत्र में आती है की आरक्षित दर 2000/– प्रतिबीधा का 20 प्रतिशत 400/–प्रतिबीधा की दर से राशि एक मुश्त जमा होने के बाद वादी व प्रतिवादी संख्या 2 ता 7 को बहिब 7/8 हिस्सा व प्रतिवादी संख्या 8 ता 10 को बहिब 1/8 हिस्सा का खातेदार काश्तकार धेाषित किया जाता है इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जाकर जमाबन्दी सशोधन की जावे। व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे

पर्चा डिक्री आज दिनांक 08/05/2025 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय मुद्रा से जारी की गई है।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ)

Signature Not Verified

Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2025.05.13 19:25:11 IST
Reason: SelfAttested